सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
5 वीं मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

****

वर्ष 2025 के लिए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए 'ऑनलाइन' माध्यम से आवेदन आमंत्रित करना

वर्ष 2025 के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए आवेदन/नामांकन जमा करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल 15 मई, 2025 से 15 जुलाई, 2025 तक खुला हैं। इसका विवरण निम्नानुसार है:

(i) आवेदन/नामांकन www.awards.gov.in पर किए जायेंगे ।

(ii) वर्ष 2025 के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए 15 जुलाई, 2025 तक प्राप्त आवेदनों/नामांकनों पर ही विचार किया जाएगा।

(iii) वर्ष 2025 के लिए आवेदन केवल पासवर्ड संरक्षित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (www.awards.gov.in) पर ऑनलाइन जमा किया जाना है। नामांकन में उपरोक्त पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें उल्लेखनीय और प्रेरक उपलब्धियों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए तथा उपलब्धियों से सम्बंधित सहायक दस्तावेज भी अपलोड करना चाहिए ।

(iv) भौतिक रूप में या किसी अन्य रूप में प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(v) पात्रता मानदंड और अन्य विवरणों के लिए विभाग की वेबसाइट (www.depwd.gov.in) पर उपलब्ध "दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए दिशानिर्देश" देखे जा सकते हैं।

पुरस्कार की प्रत्येक श्रेणी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और पात्रता निम्नानुसार है:

I. व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

क्र.सं.	पुरस्कार और पात्रता की श्रेणी	पुरस्कारों की संख्या और घटक
1.	**(i) सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन** (किसी भी क्षेत्र या गतिविधि से संबंधित अर्थात् शिक्षा / स्वास्थ्य / रोजगार / कला और संस्कृति / खेल / रचनात्मक कार्य / दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य / सामाजिक सेवा आदि - एक **रोल मॉडल**) - आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत 21 विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं में से किसी भी एक दिव्यांगता से ग्रस्त सभी दिव्यांगजनों के लिए खुला।	06 (पुरुषों के लिए 03 और महिलाओं के लिए 03) पुरस्कार का नकद घटक: प्रत्येक को 2.00 लाख रुपये

2.	**(ii) श्रेष्ठ दिव्यांगजन** क. लोकोमोटर दिव्यांगता - (लोकोमोटर, मस्कुलर डिस्ट्रोफी दिव्यांगता, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, कुष्ठ रोग उपचारित, सेरेब्रल पाल्सी) ख. दृष्टि बाधिता -(अंधापन, कम दृष्टि) ग. श्रवण बाधिता - (बधिर, कम सुनने वाला, वाक् और भाषा दिव्यांगता) घ. बौद्धिक दिव्यांगता - (मानसिक मंदता, मानसिक व्यवहार, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार) ङ. ऊपर क्र.सं. (क) से (घ) तक वर्णित दिव्यांगताओं को छोड़कर कोई भी विनिर्दिष्ट दिव्यांगता (विकासात्मक विकार, रक्त विकार, हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिक्कल सेल रोग, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, मल्टीपल स्केलेरोसिस, पार्किंसंस रोग, बहुदिव्यांगता के कारण होने वाली दिव्यांगता) तथापि, यदि इनमें से किसी एक या अधिक उप-श्रेणियों में उपयुक्त व्यक्ति नहीं पाया जाता है, तो पुरस्कार अन्य उप-श्रेणियों में अतिरिक्त व्यक्तियों को दिए जा सकते हैं। (इस श्रेणी में पुरस्कार रोजगार / स्व-रोजगार, स्वास्थ्य / खेल, कला, संस्कृति ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत, या किसी अन्य प्रकार के रचनात्मक कार्य, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य आदि के लिए दिए जाते हैं)	10 (पांच श्रेणियों (क) से (ङ) में से प्रत्येक में पुरुषों के लिए 1 और महिलाओं के लिए 1) पुरस्कार का नकद घटक: 1.00 लाख रुपये
	(iii)श्रेष्ठ दिव्यांग बाल / बालिका (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की किसी भी श्रेणी में) - (कला और संस्कृति, ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत, या किसी अन्य प्रकार के रचनात्मक कार्य आदि के क्षेत्र में) (18 वर्ष की आयु तक के दिव्यांग बच्चे)	2 (बालक के लिए 1 और बालिका के लिए 1) पुरस्कार का नकद घटक: 1.00 लाख रुपये
3.	**(iv)दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत श्रेष्ठ व्यक्ति**	1 पुरस्कार पुरस्कार का नकद घटक: 1.00 लाख रुपये
4.	**(v)दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत श्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर**	1 पुरस्कार पुरस्कार का नकद घटक: 1.00 लाख रुपये
5.	**(vi)दिव्यांगता के क्षेत्र में श्रेष्ठ अनुसन्धान / नवप्रवर्तन / उत्पाद विकास**	1 पुरस्कार पुरस्कार का नकद घटक: 1.00 लाख रुपये

II) दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत संस्थानों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार

क्र.सं.	पुरस्कार और पात्रता की श्रेणी	पुरस्कारों की संख्या कोई नकद घटक नहीं (केवल शील्ड और प्रमाण पत्र)
1.	दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संस्थान (निजी संगठन, गैर सरकारी संगठन)	व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए 01 पुरस्कार समावेशी शिक्षा के लिए (समावेशी शिक्षा प्रदान करने या बढावा देने वाले संस्थान)– 01 पुरस्कार
2.	दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता (सरकारी संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त निकाय/निजी क्षेत्र)	1 पुरस्कार
3	दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी – *केंद्र* सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों को छोड़ कर	1 पुरस्कार
4	*सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वियन/ बाधामुक्त वातावरण के सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य /संघ राज्य क्षेत्र / जिला*	1 पुरस्कार
5.	सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यातायात के साधन / सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (सरकारी/निजी संगठन)	1 पुरस्कार
6.	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम / विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण की अन्य योजनाओं के कार्यान्वियन में सर्वश्रेष्ठ राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / जिला	1 पुरस्कार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए और 1 पुरस्कार जिले के लिए
7.	अपने राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य दिव्यांगजन आयुक्त	1 पुरस्कार
8	पुनर्वास सेवाओं हेतु पेशेवर तैयार करने वाला सर्वश्रेष्ठ संस्थान	1 पुरस्कार

****